

2022/163

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
70/22	212 LRAct	पीपलखेडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
लटुरी बाई वगै.	बनाम	रंगलाल	

वकील :- DR Meena Adv. आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
23/12/22	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ने सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.01.23 को पेश हो।</p>	
31/12/23	<p>अपना पीपलखेडी उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 31.01.23 को पेश हो। वादतामिल सम्मन प्राप्त।</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
28/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी कम। वाद के वाद नामिल सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी कम। वाद का कसूर प्रमाण के अनुपातित रहे हैं। इनके विरुद्ध एक तरफा आपत्तही की जाती है। पत्रावली वाले पक्ष दिनांक 11/5/23 को पेश हो।</p>	
17/7/23	<p>पत्रावली MARC के मो. के बाद पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कसूर नहीं है। खर्चा है। समझ-पट्टा है। वाद के कसूर पत्रावली दिनांक 6/9/23 को पेश हो।</p>	



१९.७-२५

पत्रावली में इस संबंध में उक्त कमीशन
 जमीन अधिनियम की धारा ३५५ के तहत
 नोट प्रोसेस करवाया जा रहा है।
 जमीन अधिनियम २०१२ RTI नोट प्रोसेस किया जा रहा
 है। पत्रावली में उक्त अधिनियम के तहत
 नोट प्रोसेस करवाया जा रहा है।

(Handwritten mark)

नोट प्रोसेस
(Signature)